

दिशा-निर्देश

(सत्र 2024-25)

खेल एवं एक्सपोजर विजिट (Sports & Exposure Visit)

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को सामान्य बालक-बालिकाओं के समान ही सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र जीवनयापन के योग्य बनाने एवं बाहरी वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 में उनके लिए **खेल-गतिविधि एवं एक्सपोजर विजिट** का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम हेतु प्रति ब्लॉक अधिकतम ₹34500/- (चौतीस हजार पांच रुपये मात्र) का प्रावधान है।

“अ” खेल गतिविधि

1. खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु विशेष ध्यान योग्य बिन्दु :-

- खेल गतिविधियों का आयोजन जिला स्तर पर किया जाना है। खेल गतिविधियों का आयोजन जिले में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के लिए किया जाना है।
- खेल गतिविधियों के प्रभावी आयोजन तथा खेल गतिविधियों में जिले के समस्त ब्लॉकों में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी।
- प्रत्येक ब्लॉक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को आयोजन से पूर्व खेल अभ्यास कराये जाने की जिम्मेदारी एवं जिला स्तर पर खेल गतिविधियों में भाग लेने हेतु लाने एवं ले जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था के संस्था प्रधान/विशेष शिक्षकों एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की होगी।
- विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के साथ अनिवार्य रूप से महिला विशेष शिक्षिका अथवा अभिभावक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- इस हेतु खेल गतिविधियों के आयोजन से पूर्व सम्पूर्ण जिले में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

RajKaj Ref
7618228



Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 23:17:51 IST
Reason: Approved

- खेल गतिविधियों में एकल तथा समूह में दोनो तरह की गतिविधियों का आयोजन कराया जायेगा।
 - खेल गतिविधियों हेतु बालक-बालिकाओं के चयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि खेल प्रतिस्पर्द्धा में दिव्यांगता (Disability) व आयु की समानता हो। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में आयु अनुसार यथा संभव सभी श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अलग-अलग समूह बनाये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत सामान्य बालक-बालिकाओं की भागीदारी भी की जा सकेगी।
 - खेल गतिविधियों के प्रभावी आयोजन हेतु स्पेशल ओलम्पिक्स (32 प्रकार के खेलों को सपोर्ट करने वाले कोच, वॉल्लिन्टियर्स एवं एथलीट) भारत, नई दिल्ली संस्था द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
 - प्रतियोगिताओं के संचालन एवं निर्णय हेतु आवश्यकतानुसार शारीरिक शिक्षकों को बुलाया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार संदर्भ शिक्षकों की सहायता ली जा सकेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
 - प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं के चयन हेतु निर्णायक मण्डल का गठन किया जाये।
 - प्रतियोगिता के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय विजेताओं एवं अन्य सभी संभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया जावेगा।
 - कार्यक्रम का आयोजन यथासंभव जिला स्तर पर स्थापित संदर्भ केन्द्र वाले विद्यालय में अथवा उपलब्धता के अनुसार अन्यत्र किया जाये।
2. सत्र 2024-25 में खेल गतिविधि हेतु वित्तीय प्रावधान प्रति ब्लॉक ₹ 7500/- है।
3. आयोजित की जानी वाली खेल गतिविधियाँ :-

खेल गतिविधियों में निम्नलिखित एकल तथा समूह दोनों तरह की गतिविधियों को शामिल किया जायेगा :-

- **सामूहिक गतिविधियाँ-** बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबिल टेनिस, खो-खो, रूमाल झपट्टा, रस्सा कशी, चम्मच दौड़ आदि।
- **एकल गतिविधियाँ-** बैडमिंटन, लोग जम्प, हाई जम्प, थ्रोइंग, टेबिल टेनिस, 50 मीटर एवं 100 मीटर की दौड़, ट्राई साईकिल दौड़/बैसाखी दौड़, तेज चाल, कुर्सी दौड़, गुब्बारा फोड़, जलेबी दौड़ आदि।
- **Blind Chess Competition-** दृष्टिबाधित बच्चों हेतु Chess का आयोजन किया जाना है। इस हेतु पूर्व से ही संदर्भ कक्षाओं पर Chess खेलना सिखाया जायेगा।
- **अन्य गतिविधियाँ :-** क्षेत्रीय एवं परम्परागत खेल तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की अभिरुचि एवं क्षमता अनुसार अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है।

"ब" एक्सपोजर विजिट

सत्र 2024-25 में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) हेतु एक्सपोजर विजिट करवायी जानी है। एक्सपोजर विजिट के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को बाहरी

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.10 23:17:51 IST
Reason: Approved

वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाना है। एक्सपोजर विजिट के दौरान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CwSN) को ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राज्य में संचालित विशेष विद्यालय, संदर्भ कक्ष, बैंक, रेलवे-स्टेशन, डाकघर, म्युजियम, चिडियाघर एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जायेगी। अन्तर्जिला एक्सपोजर विजिट राज्य के सभी 33 जिलों में आयोजित की जायेगी। विजिट जिले के बजट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम दो दिवस हेतु प्लान की जा सकेगी।

1. विजिट हेतु बालक-बालिकाओं का चयन :-

- ब्लॉक स्तर पर बालक-बालिकाओं का चयन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर किया जाये। ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर आकर अभ्यास करने वाले बालक-बालिकाओं को एवं प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाये।
 - एक्सपोजर विजिट में प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम 15 संभागियों का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नानुसार संभागी होंगे- 10 विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकायें, 2 सामान्य बालक-बालिकायें एवं 3 अन्य संभागी (संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/अभिभावक)।
 - प्रत्येक ब्लॉक से आनुपातिक संख्या में बालक-बालिकाओं का चयन किया जा सकता है।
 - सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को अवसर दिया जाये।
 - इस एक्सपोजर विजिट में 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष वाले बालक-बालिका ही शामिल हो सकेगे।
 - उपलब्धता की स्थिति में एक्सपोजर विजिट में लगभग 50 प्रतिशत बालिकाएं ले जाना सुनिश्चित करें, इसमें कम से कम 2 महिला संदर्भ शिक्षकों/अभिभावकों का भी चयन करें।
2. सत्र 2024-25 में एक्सपोजर विजिट गतिविधि हेतु वित्तीय प्रावधान 15 संभागियों हेतु प्रति ब्लॉक ₹ 22,500/- है एवं वित्तीय मानदण्ड निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	मद	दर	राशि (₹ में)
1	बस किराया एवं उहरने की व्यवस्था (वास्तविक)	700	10500
2	चाय, नाश्ता एवं भोजन (प्रति संभागी/प्रति दिवस)	400	6000
5	प्रतिवेदन/बैर/टिकट दर्शनीय स्थल, परिचय पत्र स्टेशनरी (एक कॉपी एक पेन)	100	1500
6	बालक-बालिकाओं का जिला मुख्यालय तक आने-जाने का वास्तविक किराया	वास्तविक	3500
7	विविध व्यय आवश्यकता की स्थिति में		1000
		योग	₹22500

नोट :-

- उक्त उपमदों में से यदि अपरिहार्य स्थिति में किसी उपमद में राशि अधिक व्यय होती है तो यह राशि किसी अन्य उपमद से समायोजित की जा सकेगी।
 - कुल अधिकतम व्यय जिले को आवंटित राशि की सीमा में ही किया जायेगा।
3. उल्लेखनीय बिन्दु :-
- बालक-बालिकाओं के चयन उपरान्त अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

सहमति पत्र

मैं.....अपने पुत्र/पुत्री.....जो
कि.....विद्यालय में कक्षा.....में अध्ययनरत है। उक्त को दिनांक से.....दिनांक
तक.....स्थान हेतु.....एक्सपोजर विजिट हेतु सहमति प्रदान करता/करती
हूँ।

हस्ताक्षर अभिभावक

प्रमाणीकरण संस्थाप्रधान

- स्थान का चयन करते समय मुख्यालय से स्थान की दूरी एक तरफ, कम से कम 150 कि.मी. होगी।
- विजिट के दौरान संदर्भ कक्ष आदि की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाये। रात्रि में ठहरने की व्यवस्था यथा संभव जिला मुख्यालय के ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थान में की जा सकेगी।
- एक्सपोजर विजिट हेतु यथा संभव राजस्थान परिवहन निगम की बसे ही हायर की जाये। अनुपलब्धता की स्थिति में निजी एजेन्सी की बस नियमानुसार निविदा/कोटेशन द्वारा हायर की जा सकेगी परन्तु दरें बाजार प्रतिस्पर्धी होनी चाहिये।
- बालक-बालिकाओं के फोटो सहित परिचय पत्र बनवाकर विजिट के दौरान उनके गले में धारण कराये।

पहचान-पत्र

छात्र/छात्रा का नाम.....	फोटो
पिता का नाम.....कक्षा.....	
विद्यालय का नाम.....	
हस्ताक्षर छात्र	हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

- विभिन्न गतिविधियों की फोटोग्राफी कराई जा सकेगी परन्तु इस मद में अनावश्यक व्यय न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- जिस जिले की विजिट की जा रही है, उस जिले के जिला परियोजना समन्वयक को बालक-बालिकाओं हेतु बिस्तर आदि जिला मुख्यालय के ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है परन्तु भुगतान विजिट करने वाले जिले द्वारा चैक आदि के द्वारा किया जावेगा।
- विजिट किये जा रहे जिले में यदि वाहन की आवश्यकता होती है तो उस जिले की पूर्व में चयनित एजेन्सी से निर्धारित दरों पर वाहन की व्यवस्था की जा सकेगी। उक्त व्यवस्था में संबंधित जिले के एडीपीसी का सहयोग वांछनीय है।
- बालिकाओं के आवास की अलग से व्यवस्था (अन्य कक्ष में) की जाये तथा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु महिला संदर्भ शिक्षिकायें व दल का नेतृत्व करने वाले समावेशित शिक्षा प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

- किसी भी स्थिति में अन्य अनुभागों के कार्मिक/प्रभारी अधिकारी इस एक्सपोजर विजिट में नहीं जा सकेंगे।
- एक्सपोजर विजिट का आयोजन सितम्बर-अक्टूबर माह में किया जाना है।
- राज्य स्तर से अन्य राज्य की विजिट के कम में ₹ 16.51 लाख का परिषद स्तर से पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।
- एक्सपोजर विजिट की कार्ययोजना सहित विजिट से 7 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- विजिट के दौरान बालक-बालिकाओं की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक व अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की होगी।
- एक्सपोजर विजिट का विस्तृत प्रतिवेदन मय गतिविधियों के मूल फोटोग्राफ्स सहित तथा निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार
1				
2				

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त
दिनांक : 20/6/2024

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2024-25/ 1641

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 13:17:51 IST
Reason: Approved

INCLUSIVE EDUCATION-2024-25

S.N.	Name of District	Sports & Exposure Visit (Rs. 30000 Per Block)	
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	11	3.30
2	ALWAR	16	4.80
3	BANSWARA	11	3.30
4	BARAN	8	2.40
5	BARMER	21	6.30
6	BHARATPUR	12	3.60
7	BHILWARA	14	4.20
8	BIKANER	9	2.70
9	BUNDI	5	1.50
10	CHITTAURGARH	11	3.30
11	CHURU	7	2.10
12	DAUSA	11	3.30
13	DHAULPUR	6	1.80
14	DUNGARPUR	10	3.00
15	GANGANAGAR	9	2.70
16	HANUMANGARH	7	2.10
17	JAIPUR	26	7.80
18	JAISALMER	7	2.10
19	JALOR	10	3.00
20	JHALAWAR	8	2.40
21	JHUNJHUNU	11	3.30
22	JODHPUR	22	6.60
23	KARAULI	8	2.40
24	KOTA	6	1.80
25	NAGPUR	15	4.50
26	PALI	10	3.00
27	PRATAPGARH	8	2.40
28	RAJSAMAND	8	2.40
29	SAWAI MADHOPUR	7	2.10
30	SIKAR	12	3.60
31	SIROHI	5	1.50
32	TONK	7	2.10
33	UDAIPUR	20	6.00
	Total	358	107.40

RajKaj Ref
7618228

Signature valid

Digitally signed by Avinash
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 23:17:51 IST
Reason: Approved